निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 14/25
दायरा दिनांक :– 17.06.2025
निर्णय दिनांक :– 21/12/2025

उनवान

1. मुरली उर्फ मुरारीलाल पुत्र श्री हीरा उर्फ हीरालाल आयु 72 साल जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील बारां व जिला बारां राज0

प्रार्थी–

बनाम

2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक :– 21/12/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री असलम भारती एडवोकेट – प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम फतेहपुर पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां मे खाता संख्या नया 446 पुराना 440 मे आराजी खसरा नंबर 2349/510 रकबा 0.04 हे०, खसरा नंबर 2350/511 रकबा 0.02 हैक्टेयर एंव खसरा नंबर 2351/516 रकबा 0.30 हे0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.36 हेक्टेयर स्थित है। जो वादी के एकमात्र तनहा खाते एंव कब्जे काश्त की है। परन्तू राजस्व कर्मचारियो एंव अधिकारियो ने राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम मुरारीलाल के स्थान पर मुरली तथा पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरा दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड एंव अन्य शैक्षणिक दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम मुरारीलाल दर्ज हो रहा है। कि राजस्व रिकार्ड मे हुई त्रुटि के कारण प्रार्थी को अनावश्यक परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी ने उक्त त्रुटि को संशोधित करने हेतु अप्रार्थी से कई बार मौखिक एंव लिखित निवेदन किया परन्तू वे कोई ध्यान नही दे रहे है अतः प्रार्थी न्यायालय श्रीमान से उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराकर राजस्व रिकार्ड मे मुरली के स्थान पर अपना नाम मुरारीलाल एंव पिता का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल संशोधित करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। कि न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र की सुनवायी का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र

अध्यक्ष
सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बारां

पेश कर निवेदन है किं प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 मे वर्णित आराजी पर दर्ज प्रार्थी का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल एंव 'उसके पिता का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 446, पुराना खाता संख्या 440 व खसरा नं0 2349/510 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 2350/511 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 2351/516 रकबा 0.30 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हे0, टीसी फोर्म दिनांक 25.07.1986, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड मुरारीलाल, मार्कशीट, पहचान पत्र त्रिलोक, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम फतेहपुर पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां मे खाता संख्या नया 446 पुराना 440 मे आराजी खसरा नंबर 2349/510 रकबा 0.04 हे०, खसरा नंबर 2350/511 रकबा 0.02 हैक्टेयर एंव खसरा नंबर 2351/516 रकबा 0.30 हे0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.36 हेक्टेयर स्थित है। जो वादी के एकमात्र तनहा खाते एंव कब्जे काश्त की है। परन्तू राजस्व कर्मचारियो एंव अधिकारियो ने राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम मुरारीलाल के स्थान पर मुरली तथा पिता का नाम हीरालाल के स्थान पर हीरा दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड एंव अन्य शैक्षणिक दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम मुरारीलाल दर्ज हो रहा है। कि राजस्व रिकार्ड मे हुई त्रुटि के कारण प्रार्थी को अनावश्यक परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी ने उक्त त्रुटि को संशोधित करने हेतु अप्रार्थी से कई बार मौखिक एंव लिखित निवेदन किया परन्तू वे कोई ध्यान नही दे रहे है अतः प्रार्थी न्यायालय श्रीमांन से उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराकर राजस्व रिकार्ड मे मुरली के स्थान पर अपना नाम मुरारीलाल एंव पिता का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल संशोधित करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। कि न्यायालय श्रीमान को प्रार्थना पत्र की सुनवायी का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है किं प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 मे वर्णित आराजी पर दर्ज प्रार्थी का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल एंव 'उसके पिता का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने की कृपा करें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ग्राम फतेहुपर में खाता संख्या 446 खसरा संख्या 2349/510 रकबा 0.04 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हे0, में मुताबिक राजस्व रिकार्ड मुरली पुत्र हीरा जाति माली दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारॉं (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुरली पुत्र हीरा के स्थान पर मुरली उर्फ मुरारीलाल पुत्र हीरा उर्फ हीरालाल जाति माली निवासी फतेहपुर करवाना चाहता हैं। इस विषय में ग्राम वासियान से जानकारी करने पर व दस्तावेज देखने से ज्ञात हुआ कि खातेदार प्रार्थी मुरली और मुरारीलाल एक ही व्यक्ति है तथा पिता का नाम हीरा उर्फ हीरालाल एक ही है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल एवं पिता का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम फतेहपुर तह0 बारां व जिला बारां की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 446, पुराना खाता संख्या 440 व खसरा नं0 2349/510 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं0 2350/511 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 2351/516 रकबा 0.30 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हे0, भूमि में प्रार्थी का नाम मुरली के स्थान पर मुरारीलाल एवं पिता का नाम हीरा के स्थान पर हीरालाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष

सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ